न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज. सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी		1. गोरधन पुत्र उदाराम जाति जाट 2. भंवराराम पुत्र उदाराम जाति जाट 3. भानाराम पुत्र उदाराम जाति जाट 4. सिणगारी पत्नि उदाराम जाति जाट 5. दौलाराम पुत्र मोहबाराम जाति जाट 6. मानाराम पुत्र उदाराम जाति जाट सा. सुभाषनगर तह. कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.ए.

मुकदमां नम्बर :– 33 / 2024 निर्णय दिनांक :–31.01.2024

आदेश

तहसीलदार कुचामन सिटी ने ग्राम सुभाषनगर पटवार हल्का टोडास तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 200 / 1128 रकबा 1.34 हैक्टर किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 1128 रकबा 5.96 हैक्टर किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 1249 / 1157 रकबा 0.41 हैक्टर किस्म बारानी–3 में से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षो से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर बारानी–3 दर्ज हैं। तहसीलदार कुचामन सिटी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम सुभाषनगर पटवार हल्का टोडास तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 200 / 1128 रकबा 1.34 हैक्टर किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 1128 रकबा 5.96 हैक्टर किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 1249 / 1157 रकबा 0.41 हैक्टर किस्म बारानी–3 में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बारानी–3 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम सुभाषनगर पटवार हल्का टोडास तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 200 / 1128 रकबा 1.34 हैक्टर किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 1128 रकबा 5.96 हैक्टर किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 1249 / 1157 रकबा 0.41 हैक्टर किस्म बारानी–3 दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं तथा मौके पर वर्षों से रास्ता कायम हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम सुभाषनगर पटवार हल्का टोडास तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 200 / 1128 रकबा 1.34 हैक्टर किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 1128 रकबा 5.96 हैक्टर किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 1249 / 1157 रकबा 0.41 हैक्टर किस्म बारानी–3 मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं लेकिन जमाबंदी में गै. मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा तहसीलदार कुचामन सिटी ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 14:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक/प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 ऐसे रास्तों को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये है।

अतः तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम सुभाषनगर पटवार हल्का टोडास तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 200/1128 रकबा 1.34 हैक्टर किस्म बारानी–3 में से 0.0350 हैक्टर, खसरा नम्बर 1128 रकबा 5.96 हैक्टर किस्म बारानी–3 में से 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1249/1157 रकबा 0.41 हैक्टर किस्म बारानी–3 में से 0.02 हैक्टर की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता की भूमि खातेदारों की खातेदारी यथावत रहेगी। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अंभिन्न अंग रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार कुचामन सिटी को पालनार्थ भिजवाई जावें।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:06:17 IST
Reason: SelfAttested